

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्या: डी.ई.-25 (13)/304/वि.कार्य/2018-19/1523-24

दिनांक - 21/08/19

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054।


विषय:- विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या 14... दिनांक 22.08.2019 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 14..., जो कि दिनांक 22.08.2019 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, का उत्तर सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,




(एस.सी. मीणा)

उप शिक्षा निदेशक, (विधायी कार्य शाखा)

संख्या: डी.ई.-25 (13)/304/वि.कार्य/2018-19/1523-24

दिनांक - 21/08/19

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054 (150 प्रतियाँ)।



(एस.सी. मीणा)

उप शिक्षा निदेशक, (विधायी कार्य शाखा)

विभाग का नाम :- शिक्षा विभाग

विभाग का पता :- पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054


तारांकित प्रश्न संख्या :- 14

दिनांक :- 22.08.2019

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्रीमती बंदना कुमारी

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के ऐसे विद्यार्थियों की कुल संख्या जिनके नाम वर्ष 2018-19 में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के लिए डों में निकले हैं,	स्कूल में दाखिले की जानकारी विधानसभा क्षेत्र के अनुसार नहीं रखी जाती है।
ख)	जिन विद्यार्थियों ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश लिया है और जिन्हें अब तक प्रवेश नहीं मिल सका, उनकी संख्या,	उपरोक्तानुसार।
ग)	उन प्राइवेट स्कूलों का ब्यौरा जिनमें वर्ष 2018-19 के लिए प्रवेश अभी तक तबित है,	सभी उपयुक्त सफल आवेदकों को विभाग से सम्पर्क करने पर प्रवेश सुनिश्चित किया गया है।
घ)	क्या विभाग को प्राइवेट स्कूलों द्वारा जानबूझकर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में प्रवेश न देने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं,	ई.डब्ल्यू.एस./डी.जी. में प्रवेश से संबंधित शिकायतें विभिन्न कारणों से प्राप्त होती हैं।
ड)	ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए कदम, और	ऐसे सभी स्कूलों को विभाग द्वारा समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।
च)	क्या ऐसे प्राइवेट स्कूलों के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की गई है ?	ऐसी स्थिति में दोषी पाए जाने पर संबंधित विद्यालय के विरुद्ध शिक्षा निदेशालय के द्वारा दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एण्ड रूल्स, 1973 एवं आर.टी.ई एक्ट, 2009 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश एवं ज्ञापन दिये गये हैं।


DDE (LW)
Dte. of Education
G.N.C.T. of Delhi